UPMT010013892026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
उपस्थित–विकास कुमार–I, उच्चतर न्यायिक सेवा
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–633/2026
सद्दाम प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या–11/2026, धारा–87,351(3) भारतीय न्याय संहिता, थाना गोविन्द नगर, जिला मथुरा के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त **सद्दाम** की ओर से स्वयं को जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर जबरन निकाह करने के उद्देश्य से भगा कर ले जाना व धमकी देना आदि आक्षेपित है।

बाद विवेचना प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र तैयार हो चुका है।

3– जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादी के निजी विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4– आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र द्वारा हमीद पर बल देते हुए मुख्यतः कथन/तर्क किए गए हैं कि उसे कतई झूंठा फंसाया गया है, वह निर्दोष है। यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया, न खारिज हुआ और न लम्बित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथनों से स्पष्ट है कि पीड़िता स्वयं ही अपनी मर्जी से घर से गयी है। पीड़िता रहनुमा ने एस०ए०पी० मथुरा को भी टाइप कराकर अपने हस्ताक्षर करके एक प्रार्थनापत्र प्रेषित किया जिसमें उसने लिखा कि पिछले दो वर्ष से प्रेम प्रसंग सद्दाम से चल रहा था और उसके घर वाले उसकी इच्छा के विरूद्ध एक अन्य व्यक्ति से विवाह कराना चाहते थे, इस कारण उसने अपना स्वेच्छा से निकाह किया है। रहनुमा ने दिनांक 09.01.2026 को घर से बाहर आकर गली से भी बाहर आकर मुख्य रास्ते से सद्दाम को फोन करके बुलाया तथा उसके साथ अपनी इच्छा से अलीगढ़ गयी और निकाह किया। रहनुमा बालिग है। न्यायालय में दिया बयान भी यद्यपि उससे जोर जबरदस्ती करके दिलवाया गया है। रहनुमा ने धारा 183 बी०एन०एस०एस० के बयान में इंस्टाग्राम पर दोस्ती होने की बात होना स्वीकार किया है, निकाह होने की बात स्वीकार की है और सद्दाम को पसंद करने की बात भी स्वीकार की है। आवेदक/अभियुक्त पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः उसे दौरान मुकदमा जमानत प्रदान की जाय।

प्रतिवाद में अभियोजन/वादी पक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को बहला–फुसलाकर एवं धमकाकर अपने साथ ले जाया गया है तथा बाद विवेचना आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र तैयार हो चुका है। आवेदक/अभियुक्त को झूंठा फंसाये जाने का कोई कारण नहीं है।

5– इस प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को बहला–फुसलाकर व धमकाकर अपने साथ ले जाना एवं धमकी देना आदि आक्षेपित है।

पीड़िता वयस्क है, उक्त तथ्य से अभियोजन पक्ष द्वारा इन्कार नहीं किया गया है। पीड़िता ने अपने बयान अंतर्गत धारा 183 बी०एन०एस०एस में आवेदक/अभियुक्त द्वारा उसके साथ कोई गलत काम करने से इन्कार किया है। प्रकरण में दौरान विवेचना नामजद अभियुक्तगण आरिफ, हमीद व जरीना की नामजदगी गलत पाते हुए आवेदक/अभियुक्त के

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.04.03 16:51:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

विरूद्ध आरोपपत्र तैयार हो चुका है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त की किसी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है। आवेदक /अभियुक्त दिनांक 10.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को सशर्त जमानत प्रदान किए जाने का न्यायोचित आधार है।

तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुवलिग 1,00,000/– (एक लाख) रूपए का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत किए जाने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाय–

क– आवेदक/अभियुक्त समान प्रकार के अपराध में पुनः लिप्त नहीं होगा,

ख– आवेदक/अभियुक्त प्रकरण की विचारण में अपने स्तर से कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा,

ग– आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा,

घ– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को न डरायेगा और न धमकायेगा तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेगा,

ड़– आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचित किए जाने, धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन अंकित किए जाने एवं निर्णय हेतु नियत तिथियों पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा को ई–मेल districtjailmathura@gmail.com पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांक–03.04.2026

(विकास कुमार–I)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
I.D.No.U.P. 1910

खेम सिंह, पी०एस०